

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 80 सन 2022

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र हुमराम जाति जाट निवारी हाल गुसाईयान तहसील सिरसा जिला सिरसा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रामकुमार वैनीवाल अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 17/2/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 94 की कुल 13.1270 हैक् में से वादी का 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम की सकुनत गांव नगरासरी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही सकुनत गुसाईयाना तहसील सिरसा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी की सकुनत गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी की सही सकुनत गुसाईयाना तहसील सिरसा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी की सकुनत गुसाईयाना दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की सकुनत नगरासरी दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर नगरासरी के स्थान पर गुसाईयाना तहसील सिरसा संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।


वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 94 की कुल 13.1270 हैक् में से वादी का 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम की सकुनत गांव नगरासरी दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही सकुनत गुसाईयाना तहसील सिरसा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी की सकुनत गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी की सही सकुनत गुसाईयाना तहसील सिरसा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी की सकुनत गुसाईयाना दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी की सकुनत नगरासरी दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 94 की कुल 13.1270 हैक में से वादी का 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार कार्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी की सकुनत नगरासरी दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय गुसाईयाना के स्थान पर नगरासरी दर्ज किया गया है सही सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार दस्तावेजात सभी में वादी की सकुनत गुसाईयाना दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी की सकुनत/रहने वाला गुसाईयाना का प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी की सकुनत में भिन्नता है तहसीलदार राजरव गोहर के अनुसार वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हाजी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 94 की कुल 13.1270 हैक में से वादी का 1/4 हिस्सा भूमि में वादी की सकुनत नगरासरी अंकित है के स्थान पर गुसाईयाना तहसील सिरसा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तत्कील तत्कील जाया दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
गोहर (हनुमानगढ़)  
मेर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

आज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. अमरसिंह पुत्र हुमराराम जाति जाट निवासी हाल गुसाईयाना तहसील सिरसा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 80 सन 2022 निर्णय दिनांक- 17/02/2022

आज यह वाद गुज श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साइयों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 94 की कुल 13.1270 हैक् में से वादी का 1/4 हिस्सा भूमि में वादी की सकुनत नगरासरी अंकित है के स्थान पर गुसाईयाना तहसील सिरसा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय गुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
वादी